

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।

शुद्धि आदेश
1624(4) पटना, दिनांक 28/12/18
सं० सं०-4/विधि-08-138/2018 (खण्ड)
निदेशालय के आदेश ज्ञापांक-1184(4) दिनांक-29.09.2018 के द्वारा किए गए
स्थानान्तरण में क्रमांक-01, 29, 32, 151, 158, 216 तथा 227 पर अंकित फार्मासिस्टों के
सेवानिवृत्ति की अवधि एक वर्ष से कम होने के कारण इनके स्थानान्तरण आदेश को निरस्त
किया जाता है। शेष यथावत रहेगा।

उक्त आदेश में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

28/12/18
(डॉ० आर०डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना। 28/12/18
ज्ञापांक-4/विधि-08-138/2018 (खण्ड) 1624(4) /स्वा०, पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि-संबंधित सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि-संबंधित फार्मासिस्टों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित
प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण) स्वास्थ्य सेवायें के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।
प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/12/18
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।